**फाइल नं0-71-3099/6/2021-03**

**97/2023/I/369226/2023**

**प्रेषक,**

**आनन्द कुमार त्रिपाठी,**
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**प्रधानाचार्य,**
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
अयोध्या।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 16 अगस्त, 2023

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र सहायितत योजना (फेज-1) के अंतर्गत संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, अयोध्या को उच्चीकृत कर राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0अ0/निर्माण-कार्य/2023-24/1121, दिनांक 22.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित द्वितीय पुनरीक्षित लागत रू0 245.6418 करोड़ के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 22924.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जो निम्नवत् है:-

| क्र0सं0 | शासनादेश संख्या व दिनांक | धनराशि (रू0 लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | संख्या-146/2016/1802/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 26-07-2016 | 500.00 |
| 2 | संख्या-204/2016/3057/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 19-12-2016 | 1000.00 |
| 3 | संख्या-77/2017/881/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 22-05-2017 | 554.16 |
| 4 | संख्या-121/2017/3444/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 03-11-2017 | 5500.00 |
| 5 | संख्या-04/2018/111/71-3-2018-जी-229/2016, दिनांक 24-03-2018 | 4500.00 |
| 6 | संख्या-46/2018/1034/71-3-2018-जी-158/2017टीसी-5, दिनांक 17-12-2018 | 1000.00 |
| 7 | संख्या-60/2019/386/71-3-2019-61/2018टीसी-2, दिनांक 27-03-2019 | 150.00 |
| 8 | संख्या-72/2019/485/71-3-2019-जी-229/2016, दिनांक 29-04-2019 | 1200.00 |
| 9 | संख्या-776/71-3-2019-61/2018टीसी-2, दिनांक 02.08.2019 | 3000.00 |
| 10 | संख्या-89/2019/1295/71-3-2018-61/2018टीसी-2, दिनांक 22.11.2019 | 1193.00 |
| 11 | संख्या-135/2021/ई-1911434/71-3-2021-जी-229/2016, दिनांक 09.11.2021 | 3000.00 |
| 12 | संख्या-74/2022/ई-2073605/71-3099/6/2021-03, दिनांक 13.04.2022 | 800.00 |
| 13 | संख्या-97/2022/I/189034/2022-71-3099/6/2021-03 , दिनॉक 13.07.202 | 527.00 |
| | **योग** | **22924.16** |

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, अयोध्या को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक '4210-03-105-67- पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कालेज की स्थापना' में मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 4.1182 करोड़ (रू0 चार करोड़ ग्यारह लाख बयासी हजार मात्र)** केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/ 2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,11,82,000 ( रुपये चार करोड़ ग्यारह लाख बयासी हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 42100310567 पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना (के060/रा040-के0 + रा0) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-113/दस-2023-24, दिनांक 14 अगस्त, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,**

**( आनन्द कुमार त्रिपाठी)**
उप सचिव।

**संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, अयोध्या।
7. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**( आनन्द कुमार त्रिपाठी)**
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in